झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–382 / 2019

बसंत विश्वकर्मा ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व और भूमि सुधार विभाग, रांची (झारखंड) के सचिव के माध्यम स झारखंड राज्य।
2. उपायुक्त, रामगढ़।
3. अनुमंडल अधिकारी–सह–झारखंड भवन पट्टा, किराया और नियंत्रण अधिकारी, रामगढ़, झारखंड।
4. अयूब खान ..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सर्वेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिए : श्री निखिल कुमार मेहता, ए0ए0जी0-III के ए0सी0

उत्तरदाता सं0 4 के लिए : श्री ए0के0 साहनी, अधिवक्ता

07 / 06.08.2019 यह सिविल विविध याचिका, रिट याचिका (सी) संख्या 1875 / 2019 में पारित दिनांक 15.05.2019 के आदेश में संशोधन के लिए दायर की गई है।

वर्तमान याचिका में एकमात्र इस तर्क पर जोर दिया गया है कि रामगढ़ के उपायुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, कोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा 15.05.2019 को दिए गए अंतरिम आदेश को बढ़ाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सर्वेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत किया है कि अपीलीय प्राधिकरण ने 02 अगस्त, 2019 को परिसीमा बिंदु पर इस मामले की सुनवाई की है, जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादियों को परिसीमा याचिका की प्रति देने का निर्देश दिया गया है और यह मामला 21.08.2019 को पोस्ट किया है।

निजी प्रत्यर्थी सं0 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए0के0 साहनी ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी सं0 4 किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के निष्पादन का अनुसरण नहीं कर रहा है और इस समय आदेश के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है, जो किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश को स्थगित रखने के लिए अंतरिम आवेदन में पारित किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 1875/2019 में पारित आदेश की मूलभाव, जिससे यह सिविल विविध याचिका उद्भूत है, जिसके द्वारा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को अवसर प्रदान करते हुए अपील के निपटारे क लिए खास ऑब्जर्वेशन दिया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, इस सिविल विविध याचिका का निपटान उपायुक्त, अपीलीय प्राधिकारी को कानून के अनुसार आदेश पारित करके दो महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के निर्देश के साथ किया जाता है और अपीलीय प्राधिकारी को अंतवर्ती आवेदन पर निर्धारित तिथि को उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

चूंकि, श्री साहनी, निजी प्रत्यर्थी सं0 4 की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील ने, अपने मुवक्किल के निर्देश पर, उचित रूप से प्रस्तुत किया है कि वह किराया

नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के निष्पादन के लिए प्रयास नहीं कर रहा है और याची द्वारा दाखल अंतवर्ती आवेदन पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की प्रतिक्षा कर रहा है, इसलिए, वह उस संबध में कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं कर रहा है।

तदनुसार, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1875/2019 में पारित दिनांक 15.05.2019 का आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

यह सिविल विविध याचिका का निपटान तदनुसार किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)